संख्या: 70 /2024/ 487 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2024

विषय: जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 05/2024/ 7180/चार-2023 दिनांक 02 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य हेतु रू0 2461.61 लाख (रू0 चौबीस करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त शासनादेश संख्या- 05/2024/ 7180/चार-2023 दिनांक 02 जनवरी, 2024 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 3228/ सं0नि0-6(33)/2023-24 दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य हेतु शासन के पत्र संख्या- 5022/चार-2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 के स्थान पर प्रश्नगत प्रायोजना हेतु कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तद्नुक्रम में जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य हेतु संस्कृति निदेशालय के पत्र दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 2499.55 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2461.61 लाख (रू0 चौबीस करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संग्रहालय निदेशालय द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।
(3) संग्रहालय निदेशालय द्वारा द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।
(4) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन डी0एस0आर0 - 2023 पर प्रस्तावित की गयी है। प्रायोजना में निहित ऐसी कार्यमदें जो कि डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन पर प्रस्तावित किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत संग्रहालय निदेशालय /कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो ।
(6) प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर की लागत का परीक्षण प्रभाग द्वारा नहीं किया गया है, इसे यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। फर्नीचर का क्रय संग्रहालय निदेशालय द्वारा न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित डी0जी0 सेट, लिफ्ट, आडिटोरियम सम्बन्धी कार्य एवं वी0आर0वी0 सिस्टम आदि बाट आउट श्रेणी के कार्यों की लागत बजटरी आफर/ क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेंगे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: संग्रहालय निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम का होगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि की स्थिति में सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(15) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय -14-जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य मद (अनुदान संख्या-92) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 388 /दस-2023-24, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 70 /2024 / 487 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मैनपुरी, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
8- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
9- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
11- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-43, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद (मुख्या0 कन्नौज)
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 2499.55 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू0 2461.61 लाख की लागत आंकलित की गयी है। लागत का विवरण निम्नवत् है:— —1—

S.No.	DESCRIPTION OF ITEMS	PROPOSED COST			PFAD COST			DEDUCTION
		QTY	RATE	AMOUNT IN LACS	QTY	RATE	AMOUNT IN LACS	
1	AUDITORIUM (800 Persons) & MULTIPURPOSE HALL							
2	CIVIL WORK			1246.23			1242.18	-4.05
2	INTERNAL PLUMBING & SANITARY			24.12			24.12	0.00
3	COST OF AUDITORIUM PROJECTION & SOUND SYSTEM			70.84			67.30	-3.54
3	COST OF AUDITORIUM STAGE LIGHTING			28.76			25.88	-2.88
4	COST OF AUDITORIUM STAGE CURTAIN SYSTEM			28.46			25.62	-2.85
4	COST OF AUDITORIUM STAGE CYCLORAMA			10.35			9.32	-1.04
5	COST OF AUDITORIUM PROCENIUM			11.21			10.09	-1.12
5	INTERNAL STEP LIGHTS			17.84			16.05	-1.78
6	ACOUSTICAL CARPET FLOORING & WOODEN FLOORING FOR STAGE			31.50			29.93	-1.58
6	INTERIOR WORKS FOR ADMIN & CONFERENCE AREA			54.97			52.22	-2.75
7	**AUDITORIUM**							0.00
8	INTERNAL ELECTRIFICATION WORKS			85.89			85.89	0.00
8	FIRE SERVICES WORKS			53.74			53.74	0.00
9	**MULTIPURPOSE HALL**							0.00
10	INTERNAL ELECTRIFICATION WORKS			32.63			32.63	0.00
10	FIRE SERVICES WORKS			11.07			11.07	0.00
11	**TOTAL**			**1707.60**			**1686.03**	-21.58
12	**SITE DEVELOPMENT**							0.00
12	SEPTIC & SOCKPIT			6.26			6.26	0.00
13	EXTERNAL WATER SUPPLY			1.70			1.70	0.00
13	EXTERNAL SEWERAGE WORKS			3.56			3.56	0.00
14	GRANITE COBBLE PATHWAY	261.95 SQM		5.06			5.06	0.00
14	COST OF VRV AC WORKS AUDITORIUM	250 HP		106.45			106.45	0.00
15	COST OF VRV AC WORKS MULTIPURPOSE HALL	90 HP		38.32			38.32	0.00
15	COST OF SPLIT AC WORKS			1.13			1.13	0.00
16	EXTERNAL ELECTRIFICATION			8.34			8.34	0.00
16	**TOTAL**			170.83			170.83	0.00
17	**TOTAL**			**1878.44**			**1856.86**	-21.58
17	Add @1% for Contigency on Total	1878.44	1%	18.78	1856.86	1%	18.57	-0.22
18	Abstract of Cost			1897.22			1875.43	-21.79
18	LESS 5% DUE TO WORK DONE BY DEPARTMENT	1897.22	-5%	-94.86	1875.43	-5%	-93.77	1.09

S.No.	DESCRIPTION OF ITEMS	PROPOSED COST			PFAD COST			DEDUCTION
		QTY	RATE	AMOUNT IN LACS	QTY	RATE	AMOUNT IN LACS	
19	Total			1802.36			1781.66	-20.70
19	Centage charGES	1802.36	1%	18.02	1781.66	1%	17.82	-0.21
20	FOR LABOUR CESS	1802.36	18%	324.42	1781.66	18%	320.70	-3.73
20	FOR GST	1802.36	10.0%	180.24	1781.66	10.0%	178.17	-2.07
21	EXTERNAL ELECTRICAL CONNECTION			10.00			10.00	0.00
21	**Total A**			**2335.04**			**2308.34**	-26.71
22	COST OF D.G. SET WORK	250 KVA		24.53			24.53	0.00
22	COST OF LIFT WORK	13 PASSENNGER		13.92			13.92	0.00
23	AUDITORIUM CHAIRS			95.22			85.70	-9.52
23	FURNITURE FOR ADMIN			5.74			5.74	0.00
24	**Total**			139.41			129.89	-9.52
24	FOR GST @ 18%	139.41	18%	25.09	129.888	18%	23.38	-1.71
25	**TOTAL**			**2499.55**			**2461.61**	-37.94